आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

25.02.2020

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-317/2019

राज्य

बनाम

1. **सिंटु कुमार, पिता जरमन यादव, सा0-कंचनागर्गबाग, थाना-मुफ्फसिल, जिला-मुंगेर, पीन नं0-811201। (जप्त टाटा एस गोल्ड सं0- BR08G-4803 के स्वामी।)**
2. **मनीष कुमार, पिता फुलेश्वर यादव, सा0-बैंक जमालपुर, वार्ड नं0-13, थाना+ जिला-मुंगेर, पीन नं0-811201। (जप्त टाटा एस सं0-BR08G-4511 के स्वामी।)**

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **बायसी थाना कांड सं0-304/2018 दिनांक 30.12.18** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 8734/हि0शा0 दिनांक-13.11.2019** द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **उक्त वाहन की जाँच दिनांक 30.12.18 को बायसी थाना अन्तर्गत चरैया मोड़ के पास की गई।** जांच के क्रम में विपक्षी सं0-01 के **जप्त वाहन से रॉयल स्टैग व्हिस्की का 126 बोतल (प्रति बोतल 750मि0ली0) एवं विपक्षी सं0-02 के वाहन से मैक डॉवलस का 144 पीस (प्रति पीस 180मि0ली0), ब्लैक डिलक्स व्हिस्की का 48 पीस (प्रति पीस 180मि0ली0) ऑफिसर्स च्वाईस व्हिस्की का 48 पीस (प्रति पीस 180मि0ली0), रॉयल स्टैग व्हिस्की का 90 पीस (प्रति पीस 750मि0ली0) तथा मैक डॉवल का 24 पीस (प्रति पीस 750मि0ली0) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षीगण द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। विपक्षी सं0-01 का कथन है कि जप्त वाहन का उपयोग उनके चालक द्वारा किया गया था जो जमानत पर है। जप्त वाहन बायसी थाना में खुले आकाश के नीचे पड़ा हुआ है जिसे वाहन खराब हो रहा है। जप्त वाहन ऋण पर खरीदा गया है। जप्त वाहन एक व्ययसायिक वाहन है। व्ययसायिक वाहन को 15 दिनों से अधिक जप्त नहीं रखा जा सकता है। विपक्षी न्यायालय के शर्तो को मानने के लिए तैयार हैं। अतएव जप्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाए।

विपक्षी सं0-02 के द्वारा भी उपरोक्त कारणपृच्छा ही समर्पित किया गया है।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि **जप्त वाहन से रॉयल स्टैग व्हिस्की का 126 बोतल (प्रति बोतल 750मि0ली0) एवं विपक्षी सं0-02 के वाहन से मैक डॉवलस का 144 पीस (प्रति पीस**

180मि0ली0), ब्लैक डिलक्स व्हिस्की का 48 पीस (प्रति पीस 180मि0ली0) ऑफिसर्स च्वाईस व्हिस्की का 48 पीस (प्रति पीस 180मि0ली0), रॉयल स्टैग व्हिस्की का 90 पीस (प्रति पीस 750मि0ली0) तथा मैक डॉवल का 24 पीस (प्रति पीस 750मि0ली0) विदेशी शराब जप्त किया गया है जो जप्ती सूची में दर्ज है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षीगण का कारणपृच्छा स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि **"उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।"** स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 **"विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।"** ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीगण से प्राप्त कारणपृच्छा, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। विपक्षीगण द्वारा समर्पित कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त टाटा एस गोल्ड सं0- BR08G-4803 एवं टाटा एस सं0- BR08G-4511** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।